Head Office: 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021.

NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

CORRIGENDUM

With reference to the Notice dated 24th August 2015 convening the Extraordinary General Meeting of the Bank on Friday, 18th September 2015 –

- In the first para of the Special Resolution, the number of equity shares as appearing in figures & words **"5,18,01,045 (Five Crore Eighteen Lac One Thousand and Forty-Five Only)"** is to be read as **"5,16,62,281 (Five Crore Sixteen Lac Sixty Two Thousand Two Hundred and Eighty One)"**,the Issue price of **"Rs.208.49"** to be read as **"Rs.209.05"**; the premium of **"Rs. 198.49"** to be read as **"Rs.199.05";**
- In point b) of the Explanatory Statement the Issue Price of **"Rs.208.49"** to be read as **"Rs.209.05";**
- In the Explanatory Statement point no. c and f is to be read as under –

c) Shareholding Pattern before and after the Preferential Issue:

Sr. No.	Category	Before the Issue (As on 21st August, 2015)		After the Issue	
		No. of Shares held	% of shareholding	No. of Shares held	% of shareholding
1.	Government of India	384444316	60.47	436106597	63.44
2.	Others (Public)	251334520	39.53	251334520	36.56
	Total	635778836	100.00	687441117	100.00

f) The Pre and Post issue shareholding of the Government of India in respect of allotment of shares on preferential basis would be as under:

	Government of India	
	No. of Shares	% of Capital
Pre-issue	384444316	60.47
Post-issue	436106597	63.44

Inconvenience caused, if any, is regretted.

For Union Bank of India

Place: Mumbai
Date:05.09.2015

Dy. General Manager
Investor Services Division

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना
Notice for Extraordinary General Meeting

शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2015 प्रातः 11.00 बजे मुंबई में

Friday, 18th September, 2015 at 11.00 a.m. at Mumbai

प्रधान कार्यालयः 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.
Head Office: 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

विषय सूची

पृष्ठ क्रमांक

सूचना 1

नोट्स 2

व्याख्यात्मक विवरण 4

परोक्षी फार्म 11

उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पत्र 13

CONTENTS

Page No.

Notice 6

Notes 7

Explanatory Statement 9

Form of Proxy 12

Attendance Slip & Entry Pass 13

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की **असाधारण सामान्य बैठक शुक्रवार, दि.18 सितंबर, 2015 को प्रातः 11.00 बजे, रामा एंड सुंदरी वाटुमल आडिटोरियम, के.सी. कालेज,** दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400020 में निम्नलिखित कारोबार हेतु आयोजित की जाएगी :

भारत सरकार(जीओआई) को अधिमानी आबंटन के माध्यम से इक्विटी शेयरों का जारी किया जाना.

विचारार्थ और उचित पाये जाने पर आशोधन सहित या बिना आशोधन के एक विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए :

''**संकल्प किया जाता है** कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) और समय-समय पर यथा संशोधित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियम,1998 (विनियम) तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), और/ या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा, जो इस विषय में अपेक्षित हो, की अनुमति, सहमति, स्वीकृति, यदि कोई हो, के अध्यधीन और ऐसे निबंधनों, शर्तों एवं आशोधनों के अध्यधीन, जो इस अनुमोदन के संबंध में उनके द्वारा निर्धारित किया गया हो तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा जिसकी सहमति दी गई हो और सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण समझौते के अध्यधीन बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे "बोर्ड" कहा जायेगा, जिसमें कोई समिति, जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गई हो/ गठित की जाए, भी सम्मिलित मानी जायेगी) को एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों द्वारा सेबी आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 76(1) के अध्यधीन रु. 10/- (रूपये दस मात्र) मूल्य के **5,18,01,045 (पांच करोड़ अठारह लाख एक हजार पैंतालीस मात्र),** इक्विटी शेयर, **रु . 198.49 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित रु . 208.49 के निर्गम मूल्य पर सृजित,** प्रस्तावित, निर्गमित करने तथा अधिमान आधार पर भारत सरकार को कुल **रु . 1,080/- करोड़ (रु पये एक हजार अस्सी करोड़ मात्र)** के प्रतिफल के लिये आबंटित करने की अनुमति प्रदत्त है और प्रदान की जाती है.

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि अधिमानी निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबंधित तिथि बुधवार, 19 अगस्त, 2015 है.**

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या किसी अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा उनके निर्गम, आबंटन एवं सूचीकरण के समय अनुमोदन, स्वीकृति, सहमति या मंजूरी प्रदान करने के समय प्रस्ताव में अधिरोपित या अपेक्षित और बोर्ड द्वारा सहमत किसी आशोधन को स्वीकार करने का अधिकार एवं शक्ति बोर्ड के पास होगी.

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** निर्गमित होने वाले ये इक्विटी शेयर बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समान होंगे तथा लाभांश जारी करने के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार कोई लाभांश, यदि घोषित किया जाता है, तो उसके लिए पात्र होंगे.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से बोर्ड वे सभी कार्य, कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, जो उसके संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित हैं तथा इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, समस्या या संदेह के समाधान हेतु अधिकृत है तथा आगे उसे वे सभी कार्य व कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, सभी दस्तावेजों एवं लेखन कार्यों को अंतिम रूप देने एवं निष्पादित करने, जो उसके संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, अपेक्षित या समीचीन हों तथा शेयरधारकों की आगे किसी स्वीकृति या सहमति प्राप्त किये बिना जिसे करना उचित या अपेक्षित हो, के लिए अधिकृत है या इस प्रस्ताव के अधिकार के तहत शेयरधारकों की सहमति प्राप्त हुआ माना जायेगा.

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इसके द्वारा प्रदत्त सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या किसी भी कार्यपालक निदेशक या ऐसे किसी अधिकारी को, जो उक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए उपयुक्त हो, को प्रत्यायोजित करने हेतु अधिकृत है तथा एतद्वारा अधिकृत किया जाता है.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

तिवारी

(**अरुण तिवारी**)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः मुंबई
दिनांक : 24.08.2015

नोट्सः

व्याख्यात्मक नोट

1. बैठक के कार्यकलापों के संबंध में सारवान तथ्य सूचित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2. **परोक्षी की नियुक्ति**

   बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु परोक्षी (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी को छोडकर) नियुक्त कर सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 के विनियम 70(vi) के अनुसार परोक्षी प्रपत्र प्रदान करने वाला व्यक्ति उस बैठक में, जिससे संबंधित प्रपत्र है, व्यक्तिगत रूप से वोट देने का हकदार नहीं होगा. इस नोटिस के अनुलग्नक फार्म 'बी' के अलावा परोक्षी का अन्य कोई भी प्रपत्र वैध नहीं होगा.

   परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में कम्पनी सचिव को संबोधित, निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पाइंट, मुंबई - 400021 के पते पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2015** को बैंक के कार्य की समाप्ति पर या उससे पूर्व मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र, यदि कोई है, तो उसके साथ, जिसके अन्तर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस मुख्तारनामा की प्रति अथवा अन्य अधिकार पत्र, जिसे पब्लिक नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया हो, जब तक कि इस प्रकार के मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र को बैंक के पास पूर्व में ही जमा और पंजीकृत न किया गया हो, अवश्य प्राप्त होना चाहिए.

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

   किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, बैंक के प्रधान कार्यालय में उक्त पते पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2015** को कार्य-समाप्ति या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो.

4. **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र**

   शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ भेजा गया है. शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची भरें और दी गई जगह पर हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सुपूर्द करें. परोक्षी या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर 'परोक्षी' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाए.

5. **कट ऑफ तारीख**

   कंपनी नियम 2014 के नियम 20 यथा संशोधित के क्रम में शेयरधारकों को वोटिंग अधिकार की तिथि **शुक्रवार 11 सितंबर 2015** मानी जाएगी.

6. **ई-वोटिंग**

   I. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम 2015 द्वारा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ पठित लिस्टिंग एग्रीमेंट के वाक्य 35बी के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि असाधारण

सामान्य बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत संकल्पों पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से वोट देने और ई-वोटिंग सेवाओं के द्वारा कार्यवाही की सुविधा प्रदान की गई है. असाधारण सामान्य बैठक में इलेक्ट्रानिक वोटिंग के माध्यम से तथा ईजीएम के अलावा अन्य स्थान से (''रिमोट ई-वोटिंग'') द्वारा वोटिंग की सुविधा नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा प्रदान की जा रही है.

II इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा असाधारण सामान्य बैठक में रहेगी और इस बैठक में उपस्थित वे शेयरधारक ई वोटिंग द्वारा अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.

III जिन शेयरधारकों ने असाधारण सामान्य बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी इस असाधारण सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दुबारा वोट नहीं दे सकेंगे.

IV **रिमोट ई-वोटिंग की अवधि दिनांक 15 सितम्बर, 2015 (प्रात:9.00 बजे) प्रारम्भ होकर 17 सितम्बर, 2015 (शाम 5.00 बजे) तक रहेगी. बैंक के शेयरधारक इस अवधि के दौरान, जो निर्धारित तारीख 11 सितंबर 2015 को फिजिकल या डी-मैटरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं. इस अवधि के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को बन्द कर दिया जाएगा. शेयरधारकों द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी.**

V रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है:

जो शेयरधारक रिमोट वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं. वे वोटिंग करने के लिए अपना विद्यमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्रयोग कर सकते हैं.

ई-वोटिंग एजेंसी अर्थात एनएसडीएल, पीडीएफ फाइल के साथ अर्थात ''रिमोट ई वोटिंग पीडीएफ'' जिसमें पासवर्ड के रुप में ग्राहक आईडी अथवा फोलियो नं. होगा, शेयरधारकों (जिनके ईमेल आईडी बैंक / डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंटस के पास पंजीकृत हैं) को ईमेल करेंगे. इस पीडीएफ फाइल में रिमोट ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड / पिन होगा. कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड प्रारंभिक है।

रिमोट ई वोटिंग के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाए:

(i) यह यू.आर.एल.टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर आरम्भ करें 'https:// www.evoting.nsdl.com/'

(ii) शेयरहोल्डर लागिन पर क्लिक करें.

(iii) ईमेल के माध्यम से प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड/पिन के रुप में डालें. लागिन पर क्लिक करें.

(iv) पासवर्ड बदलने के लिए मेनू दिखेगा. अपनी पसन्द का नया पासवर्ड / पिन परिवर्तित करें जो 8 अंकों/ कैरेक्टर्स या दोनों मिलाकर हो सकता है. नया पासवर्ड नोट करें.यह सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने का पूरा ध्यान रखें.

(v) रिमोट ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा. रिमोट ई-वोटिंग: एक्टिव वोटिंग साइकल (Active Voting Cycles) को क्लिक करें.

(vi) ''यूनियन बैंक ऑफ इंडिया'' के ''EVEN'' को चुनें.

(vii) अब आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब वोट करने के लिए पेज खुल गया है.

(viii) यथोचित विकल्प का चयन कर वोट डाल दें और ''Submit'' तथा उसके बाद ''Confirm'' पर क्लिक करें.

(ix) पुष्टि (Confirmation) के बाद यह संदेश दिखेगा ''Vote cast successfully''.

(x) संकल्प पर एक बार आपके द्वारा वोट करने के बाद आपके वोट में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी.

(xi) संस्थागत शेयरधारकों (व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों, अनिवासी भारतीयों आदि के अलावा) के द्वारा वोट करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षरों के सत्यापान के साथ,संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रतियां (पीडीएफ/ जेपीजी फार्मेट) जांचकर्ता को ई-मेल द्वारा snv@snaco.net तथा evoting@nsdl.co.in पर भेजना होगा.

VI. **किसी प्रकार की शंका होने की दशा में www.evoting.nsdl.com में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के लिए उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग मैनुवल में देखा जा सकता है या टोलफ्री नं.: 1800-222-990 पर संपर्क किया जा सकता है.**

VII. यूजर प्रोफाइल विवरण के फोलियो में आप अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अद्यतन कर सकते हैं, जिनका उपयोग ई वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित भविष्य के संवादों के लिए किया जा सकता है.

VIII. यदि कोई व्यक्ति, कट-ऑफ तारीख अर्थात **11 सितंबर 2015** को शेयरधारक रहता है, वह evoting@nsdl.co.in अथवा ubiinvestors@dfssl.com से लागिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है.

IX. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ की तारीख को, शेयरहोल्डर के रजिस्टर या डिपाजिटरीज द्वारा रखे गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में रिकार्ड है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग द्वारा असाधारण सामान्य बैठक में वोटिंग के लिए पात्र होगा.

X. वोटिंग की जांच करने और रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए, कंपनी सचिव की प्रैक्टिस करने वाले मेसर्स एस एन अनंतसुब्रह्मणियन एंड कंपनी को जांचकर्ता के रूप में नियुत्त किया गया है.

XI. अध्यक्ष असाधारण सामान्य बैठक में संकल्पों पर चर्चा के अंत में उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान करेंगे, जो इस बैठक में उपस्थित हों, लेकिन उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.

XII. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में वोटिंग समाप्त होने के बाद, परंतु असाधारण सामान्य बैठक की समाप्ति के तीन दिनों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी.

XIII. अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से परिणामों की घोषणा होने के तुरन्त बाद, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर रखा जाएगा. ये परिणाम तुरन्त स्टॉक एक्सचेंज और एनएसडीएल को भेजे जाएंगे.

व्याख्यात्मक विवरण

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2009 के अधीन अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटन

ए) अधिमानी निर्गम के उद्देश्य

बासेल III मानदंडों के अनुरूप बैंक के सीआरएआर के स्तर को और सुदृढ़ करने के लिये बैंक द्वारा इक्विटी फंड को बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा रहा है.

भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 19 अगस्त, 2015 के द्वारा उसके पक्ष में इक्विटी शेयरों के अधिमानी आवंटन के माध्यम से रु. 1080 करोड़ (एक हजार अस्सी करोड़ रुपये) का निवेश प्रस्तावित है. प्रस्तावित अधिमानी शेयरों के आबंटन के बाद 31 मार्च 2016 को बैंक का टियर I सीआरएआर और कुल सीआरएआर क्रमशः 6.84 % और 9.10 % होगा.

बी) रु. 1080 करोड़ (एक हजार अस्सी करोड़ रुपये मात्र) का यह संपूर्ण अधिमानी निर्गम भारत सरकार द्वारा अभिदत्त किया जाएगा.

निर्गम मूल्य का निर्धारण सेबी आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 76(1) के अनुसार किया जाएगा. निर्गम मूल्य हेतु सुसंगत तिथि 19 अगस्त, 2015 को ध्यान में रखते हुए निर्धारित निर्गम मूल्य लगभग रु. 208.49 है.

सी) **निर्गम से पूर्व एवं निर्गम के उपरांत शेयरधारिता का पैटर्न**

क्र.	श्रेणी	निर्गम से पहले (यथा 21 अगस्त, 2015)		निर्गम के उपरांत	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
1.	भारत सरकार	384444316	60.47	436245361	63.45
2.	अन्य (पब्लिक)	251334520	39.53	251334520	36.55
	कुल	635778836	100.00	687579881	100.00

डी. बैंक का प्रयास इस निर्गम को सेबी आईसीडीआर द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा करने का है.

ई. चूंकि यह संपूर्ण निर्गम बैंक के बहुलांश शेयरधारक तथा प्रवर्तक भारत सरकार के लिए प्रस्तावित है, अतः नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

एफ. भारत सरकार की निर्गम-पूर्व एवं निर्गम के उपरांत शेयरधारिता निम्नवत होगी

	भारत सरकार	
	शेयरों की संख्या	पूंजी में %
निर्गम पूर्व	384444316	60.47
निर्गम पश्चात	436245361	63.45

जी. बैंक के इक्विटी शेयर छह महीने से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं तथा तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 76(3) और 78(5) के प्रावधान तथा सेबी आईसीडीआर विनियमावली, 2009 के विनियम 73(1) (एफ) एवं (जी) के अधीन प्रकटन के प्रावधान लागू नहीं हैं.

एच . भारत सरकार को निर्गमित एवं आबंटित किये जाने वाले सभी शेयर ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक लॉक-इन होंगे.

आई. केंद्र सरकार के अधिमानी पूर्व समस्त शेयर, स्टाक एक्सचेंज के ट्रेडिंग अनुमोदन की संबद्ध तारीख से छः माह तक लॉक इन रहेंगे.

जे. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जो यह प्रमाणित करता है कि निर्गम इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार है, असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाएगा.

के. भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर डिमैट फार्म में हैं तथा स्टाक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीबद्ध करार के अनुसार जिन स्टाक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनमें अपने शेयरों को सतत सूचीबद्ध रखने संबंधी शर्तों का पालन कर रहा है.

एल. संबंधित तिथि से पूर्व के छह माह के दौरान भारत सरकार द्वारा बैंक का कोई इक्विटी शेयर नहीं बेचा गया है.

एम. भारत में विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूची बद्ध हैं, के साथ बैंक द्वारा निष्पादित सूचीबद्ध करने संबंधी क्लाज 23 में अन्य बातों के साथ साथ यह भी प्रावधान है कि जब आगे शेयरों के आबंटन के द्वारा बैंक की निर्गमित पूंजी को बढ़ाने का प्रस्ताव किया जायेगा, तो ऐसे शेयरों के लिए सबसे पहले बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान के लिए प्रस्ताव किया जाएगा, जब तक कि वे सामान्य बैठक में विशेष संकल्प के माध्यम से इसके विपरीत निर्णय न लें . चूंकि बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को आनुपातिक आधार के अतिरिक्त पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर आबंटित करने का प्रस्ताव है, अतः उक्त संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है. आगे सेबी आईसीडीआर विनियमावली, 2009 के विनियम 72 के अंतर्गत भी यह आवश्यक है .

एन. बैंक द्वारा आवश्यक होने पर सेबी आईसीडीआर विनियमावली के अनुसार इक्विटी शेयरों के मूल्य की पुनर्गणना करने का भी संकल्प किया जाता है.

ओ. बैंक द्वारा यह भी संकल्प किया जाता है कि यदि पुनर्गणना के कारण देय मूल्य इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित समय में अदा नहीं किया जाता है तो, विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ आबंटिती द्वारा रकम अदा किये जाने तक लॉक रहेंगी.

आपके निदेशक इस एजेंडा की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं.

इस बैठक के एजेंडा में बैंक के किसी निदेशक का कोई हित या संबंध नहीं है.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

प्रतिवारी

स्थानः मुंबई
दिनांक : 24.08.2015

(**अरुण तिवारी**)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NOTICE

NOTICE is hereby given that an **Extraordinary General Meeting** of the shareholders of Union Bank of India will be held on **Friday, 18th September, 2015 at 11.00 a.m. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College,** Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai - 400 020 to transact the following business:

Issue of Equity Shares through Preferential Allotment to Government of India (GoI) –

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act) and Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time (the Regulations) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GoI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot up to **5,18,01,045 (Five Crore Eighteen Lac One Thousand and Forty-Five Only) equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only)** for cash at an **Issue Price of Rs. 208.49 including premium of Rs.198.49** determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to **Rs. 1,080 Crore (Rupees One Thousand and Eighty Crore only)** to Government of India on Preferential Basis**.**

"RESOLVED FURTHER THAT the **Relevant Date** for determination of the Preferential Issue Price is **Wednesday, 19th August, 2015."**

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/Securities and Exchange Board of India/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or anyone of the Executive Director or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date: 24.08.2015

(Arun Tiwari)
Chairman & Managing Director

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy (other than an officer or an employee of the bank) to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a shareholder of the bank. As per Regulation 70(vi) of Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed to this notice.

The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office of the Bank addressed to Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021, not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank **on Friday, 11th September, 2015** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank **on Friday, 11th September, 2015.**

4. ATTENDANCE SLIP-CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is also dispatched along with this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorised Representatives should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

5. CUT OFF DATE

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the shareholders shall be reckoned as on **Friday, 11th September, 2015.**

6. E-VOTING

I. In compliance with provisions of Clause 35B of the Listing Agreement read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and

Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide shareholders facility to exercise their right to vote on Resolution proposed to be considered at the EGM by electronic means and the business may be transacted through E-Voting Services. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system at the EGM and from a place other than venue of the EGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

II. The facility for voting through electronic means shall be made available at the EGM and the shareholders attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through e-voting.

III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. T**he remote e-voting period commences on 15th September, 2015 (9:00 am) and ends on 17th September, 2015 (5:00 pm).** During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **Cut-Off Date of 11th September, 2015,** may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

V. The process and manner for remote e-voting are as under:

Shareholders, who are already registered with NSDL for remote e-voting, can use their existing user ID and password for casting vote.

E-Voting Agency viz. NSDL will also sent email to Shareholders [whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participants(s)] with PDF file viz. "remote e-voting.pdf" with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password.

Following procedures is required to be followed for remote E-Voting:

(i) Launch internet browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/

(ii) Click on Shareholder - Login

(iii) Put user ID and password as initial password/PIN received in e-mail. Click Login.

(iv) Password change menu appears. Change the password/PIN with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(v) Home page of remote e-voting opens. Click on remote e-voting: Active Voting Cycles.

(vi) Select "EVEN" of "Union Bank of India".

(vii) Now you are ready for remote e-voting as Cast Vote page opens.

(viii) Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

(ix) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

(x) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xi) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to snv@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

VI. **In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and remote e-voting user manual for shareholders available at the downloads section of www evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990**.

VII. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s) related to e-voting process.

VIII. Any person, holding shares as of the cut-off date i.e. 11th September, 2015, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or ubiinvestors@dfssl.com.

IX. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM.

X. M/s. S N Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

XI. The Chairman shall, at the EGM at the end of discussion on the resolution allow voting for all those shareholders who are present at the EGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

XII. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the general meeting but, not later than three days of the conclusion of the EGM, submit a consolidated scrutinizer's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman of the Bank.

XIII. The Results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges & NSDL.

Explanatory Statement

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

a) **Objects of the Preferential Issue**

In order to further strengthen the CRAR of the Bank under Basel III norms, the Bank is proposing to raise its equity funds.

The Government of India vide their letter dated 19th August, 2015 proposes to infuse up to Rs. 1080 crore (Rupees One Thousand and Eighty Crore only) by way of preferential allotment of Equity in favour of the Government of India. Subsequent to the preferential allotment of Equity shares, the Bank is likely to attain 6.84 % Tier I CRAR and total CRAR of 9.10 % as on 31st March, 2016.

b) Government of India shall subscribe to the entire Preferential Issue of Rs. 1080 crore (Rupees One Thousand and Eighty Crore Only).

The Issue Price is determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations. The issue price so determined is around Rs. 208.49 considering that the Relevant Date for ascertaining the Issue Price is 19th August, 2015.

c) **Shareholding Pattern before and after the Preferential Issue:**

Sr. No.	Category	Before the Issue (As on 21st August, 2015)		After the Issue	
		No. of Shares held	% of shareholding	No. of Shares held	% of shareholding
1.	Government of India	384444316	60.47	436245361	63.45
2.	Others (Public)	251334520	39.53	251334520	36.55
	Total	635778836	100.00	687579881	100.00

d) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

e) As the entire preferential issue will be made to the Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.

f) The Pre and Post issue shareholding of the Government of India in respect of allotment of shares on preferential basis would be as under:

	Government of India	
	No. of Shares	% of Capital
Pre-issue	384444316	60.47
Post-issue	436245361	63.45

g) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.

h) All the shares to be issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of Trading Approval.

i) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of Trading Approval granted by the Stock Exchange.

j) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

k) All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

l) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date.

m) Clause 23 of the Listing Agreements executed by the Bank with the various stock exchanges in India where the Bank's Equity Shares are listed, provide inter-alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a General Meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI-ICDR Regulations 2009.

n) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do.

o) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked in till the time such amount is paid by the allottee.

Your Directors recommend passing of the special resolution mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in this agenda of the meeting.

By order of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date: 24.08.2015

(Arun Tiwari)
Chairman & Managing Director

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
अच्छे लोग, अच्छा बैंक Good people to bank with

प्रधान कार्यालय: यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट , मुंबई-400021.

परोक्षी फॉर्म (फॉर्म 'बी')

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षर किया जाये)

रजि. फोलियो क्र. (यदि डिमैटीरियलाइज नहीं किया गया है)
डीपीआईडी तथा क्लाइंट आईडी (यदि डिमैटीरियलाइज किया गया है)

मैं/हम_____राज्य _____ के _____जिले के _____ का निवासी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई का एक शेयरधारक होने के नाते _____राज्य के _____ जिले के _____ के निवासी श्री/श्रीमती_____ अथवा उनके असफल रहने पर _____राज्य के _____ जिले के _____ के निवासी श्री/श्रीमती _____ को **शुक्रवार, 18 सितंबर, 2015 को प्रातः 11.00 बजे रामा एंड सुंदरी वाटुमल सभागार, के. सी. कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020** में होने वाली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की **असाधारण सामान्य बैठक** में मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से वोट डालने के लिए तथा उसके किसी भी स्थगन के लिए अपना परोक्षी नियुक्त करता/करते हूँ/हैं.

_____ 2015 के _____दिन हस्ताक्षरित.

कृपया रसीदी टिकट लगाएं

_____
परोक्षी के हस्ताक्षर

_____
प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता :_____

परोक्षी फॉर्म हस्ताक्षर करने तथा दर्ज करने के लिए निर्देश

1. कोई भी परोक्षी लिखत वैध नहीं होगा जब तक कि वहः
   - ए) वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में, इस पर उसके अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो,
   - बी) संयुक्त धारकों के मामले में, इस पर रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो,
   - सी) निगमित निकाय के मामले में इस पर इसके अधिकारी अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो.
2. परोक्षी लिखत पर किसी भी शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना पर्याप्त होगा यदि किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हैं, तो उसके अंगूठे के निशान लगे हों तथा उसे किसी जज, मजिस्ट्रेट, एश्योरेंस के पंजीयक या उप पंजीयक अथवा सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
3. निम्न के साथ परोक्षी
   - ए) मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार(यदि कोई है) जिसके अधीन इस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
   - बी) नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक प्रति निवेशक सेवाएँ प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 239 विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 के पास असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से कम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, 11 सितंबर, 2015 को बैंक कार्यकाल समाप्ति तक या उससे पहले जमा कर दिया जाना चाहिए.
4. जब तक विधिवत रूप से स्टैम्प न लगाया गया हो कोई भी परोक्षी लिखत वैध नहीं होगा.
5. बैंक के पास जमा किया गया कोई लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.
6. वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में अनुमत किए गए परोक्षी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किए जाएंगे.
7. शेयरधारक ने जिस असाधारण सामान्य बैठक से संबन्धित परोक्षी लिखत निष्पादित किया है उसमें वह व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए अधिकृत नहीं है.
8. ऐसे किसी भी व्यक्ति को विधिवत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी नहीं नियुक्त किया जाएगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
अच्छे लोग, अच्छा बैंक Good people to bank with

Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021.

PROXY FORM (FORM 'B')

(to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio (If not dematerialised)
DP ID & Client ID (If dematerialised)

I/We_____resident(s) of _____ in the district of _____in the state of_____ being a shareholder(s) of Union Bank of India, Mumbai hereby appoint Shri/Smt._____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____or failing him / her, Shri/ Smt. _____resident of_____ in the district of _____ in the state of_____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the **Extraordinary General Meeting** of the shareholders of Union Bank of India to be held on **Friday, 18th September, 2015 at 11.00 a.m. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020** and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2015.

Please Affix Revenue Stamp

_____
Signature of Proxy

_____
Signature of First named/Sole Shareholder

Name : _____

Address :_____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his/ her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Union Bank of India with the Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021 not less than four days before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Friday, 11th September, 2015.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
अच्छे लोग, अच्छा बैंक Good people to bank with

प्रधान कार्यालय: यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट , मुंबई-400021.
Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021.

उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास
Attendance Slip-cum- Entry Pass
(स्थान पर प्रवेश करने के समय सौंपी जानी है) (to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

एतद्वारा मैं बैंक की असाधारण सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ:
I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank:

दिनांक: शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2015
समय: प्रातः 11:00 बजे

Date: Friday, 18th September, 2015
Time: 11.00 A.M.

स्थान: रामा एंड सुंदरी वाटुमल सभागार, के. सी. कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400020
Place: Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai - 400 020

रजि. फोलियो क्र. Regd. Folio No. (यदि डिमैटीरियलाइज नहीं किया गया है)	
डीपीआईडी तथा क्लाइंट आईडी DP ID & Client ID (यदि डिमैटीरियलाइज किया गया है)	
शेयरधारक का नाम Name of Shareholder	
शेयरों की संख्या Number of Shares	
प्राक्सी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि का नाम Name of Proxy or Authorised Representative (AR)	

शेयरधारक/ प्राक्सी/एआर के हस्ताक्षर Signature of the Shareholder/Proxy/AR

शेयरधारकों/प्राक्सी अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैंक के साथ अपने विधिवत पंजीकृत हस्ताक्षर सहित उक्त उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास को प्रवेश स्थान पर प्रस्तुत करें. तथापि, प्रवेश आवश्यक सत्यापन, जांच के अध्यधीन होगा. किसी भी स्थिति में बैठक के प्रवेश द्वार पर कोई भी डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जायेगी.

Shareholders / Proxy or Authorised Representative (AR) of shareholders are requested to produce the above attendance slip-cume-Entry pass, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.

www.sapprints.com